न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0: 440/2011 तारीख रजू:–28.02.2011

जीसीएमएस नंबर:–2011/00133

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. बजरंग सिंह पुत्र श्री हरबक्स सिंह जाति राजपूत, निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी क्वार्टर नंबर 145/184 सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर। फोत

1/1. गुमानसिंह चौहान पुत्र स्व0 बजरंग सिंह राजपूत।

1/2. मानसिंह चौहान पुत्र स्व0 बजरंग सिंह राजपूत।

निवासीयान सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर।

1/3. भंवरबाई पुत्री बजरंग सिंह राजपूत पत्नि स्व0 किशन सिंह राजावत निवासी डउवाड़ा, कोटा।

1/4. शीला चौहान पुत्र बजरंग सिंह राजपूत पत्नि स्व सुरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी सोत्या पाड़ा, बूंदी राजस्थान।

1/5. सुमन कंवर पुत्री बजरंग सिंह राजपूत पत्नि नारायण सिंह पंवार निवासी शीतला माता की टेक, उनियारा, जिला टोंक।

–वादीगण

बनाम

1. घनश्याम सिंह पुत्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी जटवाड़ा खुर्द, मानटाउन, सवाई माधोपुर।
2. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

वकील वादीगण:– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3:– श्री पारस चंद जैन, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 4:– श्री बालकृष्ण उपाध्याय, ऐडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत् इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती, अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

निर्णय दिनांकः– 02.12.2025

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ वादी ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के मूल निवासी हैं।

❖ वादी के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि पर सन् 1960 से शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। वादी की ग्राम ईसरदा में स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 1427 मिन रकबा 7 बीघा हाल नवीन कब्जे की भूमि 4662/5420 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 4662/5390 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 4907 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 4908 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.78 है0 वादी के नाम हाल एवं साबिक राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज है। तहसील चौथ का बरवाड़ा के समस्त ग्रामों का भू–प्रबंध विभाग द्वारा सर्वे करके नवीन तरमीम करते हुए राजस्व अभिलेख तैयार किया है, जिसमें उनके द्वारा त्रुटियां कर दी गई है। वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि जमाबंदी में साबिक खसरा नंबर 1427 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम ईसरदा में एक ही जगह स्थित थी एवं 7 बीघा एक ही खेत बना हुआ था, जबकि भू–प्रबंध विभाग ने हाल नवीन खसरा नंबर पुराने खसरा नंबर कब्जे अनुसार नहीं बनाये हैं। वादी के कब्जे में वर्तमान में हाल खसरा नंबर 4663 रकबा 0.72 है0 की भूमि है, जिसका जानबूझकर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी है, जबकि खसरा नंबर 4663 पर प्रतिवादी संख्या 01 का कभी भी कब्जा नहीं रहा। प्रतिवादी घनश्याम सिंह के कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नंबर 1427 मिन रकबा 5 बीघा थी, जिसको भी भू–प्रबंध विभाग ने एक ही जगह नक्शा ट्रेस में नहीं दर्शाई है। भू–प्रबंध विभाग ने सर्वे करते हुए जो राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया है, वह गलत किया है, जिससे मौके पर विवाद बढ़ने की संभावना पैदा हो गई है।

❖ वादी दिनांक 25.10.2005 को पटवारी हल्का के पास लगान जमा कराने के लिये ग्राम ईसरदा गया एवं भू–प्रबंध विभाग के नवीन रिकार्ड के बारे में जानकारी की तो वादी को भू–प्रबंध विभाग की गलती का पता चला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

❖ वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से सम्पर्क किया जो प्रतिवादी संख्या 01 ने दिंाक 26.12.2005 को कहा कि मैं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काबिज हूं और ऐसे ही रहूंगा। ये ही वाद का कारण रहा।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि–

- घोषणा इस आशय को फरमाई जावे कि ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खसरा नंबर 1427 मिन रकबा 7 बीघा के कब्जे अनुसार नवीन खसरा नंबर की 4663 रकबा 73 ऐयर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रतिवादी का नाम हजफ किया जावे।

- राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि नवीन खसरा नंबर 4907 रकबा 12 ऐयर, खसरा नंबर 4908 रकबा 60 ऐयर भूमि से वादी का नाम हजफ किया जावे। खसरा नंबर 4907,4908 पर प्रतिवादी का कब्जा हो तो प्रतिवादी के नाम इन्द्राज किया जावे, एवं कब्जे अनुसार इन्द्राज किया जावे।

- प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो वादी के कब्जे की भूमि खसरा नंबर 4663 रकबा 73 ऐयर के कब्जे काश्त में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने क बावजूद दिनांक 16.06.2008 को प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब बंद किया गया।

4. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2020/656 दिनांक 11.03.2020 एवं पत्रांक भू0अ0/2024/05 दिनांक 07.01.2025 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई है, जो निम्नानुसार है–

    - मुताबिक जमाबंदी खसरा नंबर 4662/5420 रकबा 0.53 है0, 4662/5390 रकबा 0.53 है0, 4907 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा नंबर 4908 रकबा 0.60 है0 बजरंग सिंह पुत्र हरबक्स सिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज है।

    - खसरा नंबर 4663 रकबा 0.73 है0 घनश्याम सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज है।

    - खसरा नंबर 4662/5420 रकबा 0.53 है0 खसरा नंबर 4[illegible]/53[illegible] रकबा 0.53 है0 खसरा नंबर 4663 रकबा 0.73 है0 पर बजरंग सिंह पुत्र हरबक्स सिंह जाति राजपूत का कब्जा काश्त है। खसरानंबर 4907 रकबा 0.12 है0 पर प्रहलाद पुत्र भूरा गुर्जर सा0 माधोराजपुरा, 4908 रकबा 0.60 है0 पर रामकिशन पुत्र अम्बालाल, लेखराज पुत्र रामस्वरूप गुर्जर सा0 माधोराजपुरा का कब्जा काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

➤ साबिक खसरा नंबर 1427 से बने हाल खसरा नंबर 4620/0.68, 4621/2.04, 4622/0.01, 4623/0.14, 4624/1.32, 4625/0.13, 4626/0.79, 4627/1.46, 4628/0.58, 4629/1.26, 4630/0.16, 4631/1.16, 4632/3.05, 4633/0.15, 4634/0.47, 4635/0.75, 4636/1.26, 4637/2.43, 4638/2.25, 4642/2.52, 4634/0.15, 4644/0.90, 4645/0.99, 4646/0.98, 4647/1.88, 4648/0.69, 4649/5.05, 4650/1.48, 4651/0.35, 4652/1.38, 4653/0.06, 4654/1.10, 4655/1.07, 4656/3.80, 4657/2.02, 4658/0.28, 4659/1.01, 4660/1.88, 4661/0.64, 4662/1.47, 4663/0.73, 4664/2.18, 4665/0.74, 4667/1.69, 4668/0.23, 4669/0.45, 4670/0.81, 4671/0.50, 4672/0.79, 4673/1.13, 4674/1.31, 4675/1.12, 4676/1.86, 4677/1.25, 4678/0.70, 4679/0.79, 4680/0.85, 4681/0.76, 4682/0.78, 4684/0.32, 4687/0.60, 4688/1.06, 4689/1.27, 4690/1.01, 4691/0.97, 4692/0.68, 4693/0.01, 4694/0.33, 4695/0.33, 4696/0.25, 4697/0.93, 4698/0.59, 4699/0.14, 4700/1.25, 4701/0.14, 4702/0.21, 4703/0.65, 4704/1.97, 4707/0.11, 4708/0.09, 4737/0.31, 4738/0.31, 4741/0.18, 4742/0.21, 4743/0.37, 4744/0.30, 4745/0.32, 4746/0.28, 4747/0.82, 4748/0.90, 4749/0.06, 4750/0.43, 4751/0.32, 4752/0.49, 4753/1.22, 4754/0.06, 4755/1.47, 4756/0.48, 4757/0.50, 4758/0.80, 4759/0.41, 4760/0.41, 4761/0.41, 4762/0.01, 4763/0.48, 4764/0.46, 4765/0.50, 4766/1.02, 4767/1.02, 4768/0.69, 4769/0.20, 4770/0.17, 4771/0.18, 4772/0.19, 4773/0.19, 4774/0.17, 4775/0.27, 4776/0.31, 4777/0.05, 4778/0.65, 4779/0.60, 4780/0.88, 4781/0.48, 4782/0.19, 4783/0.24, 4784/1.51, 4785/1.06, 4786/0.30, 4787/1.01, 4788/1.85, 4789/0.60, 4790/0.38, 4791/0.36, 4792/0.31, 4793/0.30, 4794/0.70, 4795/0.33, 4796/0.16, 4797/0.18, 4798/0.40, 4799/0.77, 4800/0.36, 4801/0.37, 4802/1.4[illegible], [illegible]/0.06, 4804/0.73, 4805/1.09, 4806/0.60, 4807/0.57, 4808/0.2[illegible], [illegible]/0.23, 4810/0.53, 4811/0.26, 4812/[illegible], 4813/[illegible], [illegible]/4.11, 4815/0.17, 4816/0.56, 4817/2.28, 4818/2.65, 4819/0.5[illegible], 4820/2.02, 4821/0.64, 4822/0.67, 4823/0.71, 4824/0.48, 4825/0.45, 4826/0.08, 4827/0.26, 4828/0.32, 4829/0.53, 4830/0.64, 4831/0.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

51, 4832/0.22, 4833/0.03, 4834/0.35, 4835/0.79, 4836/0.10, 4837/0.19, 4838/0.62, 4839/0.29, 4840/0.01, 4841/0.62, 4842/0.16, 4843/0.06, 4844/0.45, 4846/0.48, 4847/0.01, 4848/0.17, 4849/1.13, 4850/0.60, 4851/0.32, 4852/1.06, 4853/0.75, 4854/0.19, 4855/0.41, 4856/0.53, 4857/0.54, 4858/0.20, 4859/0.01, 4860/0.17, 4861/0.51, 4862/0.09, 4863/0.07, 4864/0.69, 4865/0.35; 4866/0.10, 4867/0.10, 4868/0.16, 4869/0.03, 4870/0.93, 4871/1.23, 4872/0.20, 4873/0.80, 4874/0.01, 4875/1.76, 4876/0.53, 4877/0.25, 4878/0.15, 4879/0.13, 4880/0.13, 4883/0.04, 4884/0.22, 4885/0.10, 4886/0.15, 4887/0.14, 4888/0.07, 4889/0.05, 4890/0.25, 4891/1.90, 4892/2.55, 4893/1.25, 4894/0.23, 4895/0.51, 4896/0.77, 4897/0.29 बने हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

- ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिन्दु संख्या 03 में वर्णित खसरा नम्बरान को छोड़कर शेष खसरा नम्बरान पर खातेदारों/दीगर व्यक्तियों का कब्जा है।
- घनश्याम सिंह पुत्र देवीसिंह निवासी ईसरदा मौके का मौके पर ग्रामीणों से की गई जानकारी अनुसार खसरा नंबर 4787 रकबा 1.01 है0 सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 4614 रकबा 0.87 है0 में से 0.25 है0 पर कब्जा काश्त होना बताया गया है।

5. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

- <u>पी0डब्ल्यू–01:–</u>बजरंग सिंह पुत्र श्री हरबक्स सिंह राजपूत निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>पी0डब्ल्यू–02:–</u>बाबूलाल पुत्र गोपाल माली निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–1:–</u>जमाबंदी संवत् 2061–2064, खतोनी (खेवट) नवीन 515 पुरानी 465, वाके ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–2:–</u>जमाबंदी संवत् 2061–2064, खतोनी (खेवट) नवीन 24 पुरानी 330, वाके ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–03:–</u>मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–4:–</u>नक्शा ट्रेस वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
★ चौथ का बरवाड़ा ★

- **प्रदर्श–05:–**राजस्व विभाग पासबुक, खसरा नंबर 1427 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **प्रदर्श–06:–**जमाबंदी (खतौनी) संवत् 2043–2046 खसरा नंबर 1427 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **प्रदर्श–07:–**खसरा गिरदावरी खसरा नंबर 1427 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

6. वकील प्रतिवादी संख्या 01 के अनुपस्थित रहने के कारण वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

7. जमाबंदी संवत् 2061–2064 **(प्रदर्श–1)** के अनुसार बजरंग सिंह पुत्र हरबक्स सिंह राजपूत की खातेदारी में खसरा नंबर 4394 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 4395 रकबा 0.66 है0, खसरा नंबर 4396 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 4662/5390 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 4662/5420 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 4907 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 4908 रकबा 0.60 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.04 है0 भूमि ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। नवीन खसरा नंबर 4907 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा नंबर 4908 रकबा 0.60 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 है0 की खातेदारी उसके नाम दर्ज की गई है, जिन पर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार वादी का कब्जा नहीं है। जमाबंदी संवत् 2061–2064 **(प्रदर्श–2)** के अनुसार खसरा नंबर 4663 रकबा 0.73 है0 एवं खसरा नंबर 4899 रकबा 0.53 है0 भूमि वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा प्रतिवादी संख्या 01 घनश्याम सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 4663 रकबा 0.73 है0 पर बजरंग सिंह पुत्र हरबक्स सिंह जाति राजपूत का कब्जा काश्त है। परन्तु उनके अधिवक्ता द्वारा इस हेतु न तो कोई जवाब पेश किया है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया है। मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा **(प्रदर्श–3)** से स्पष्ट है कि नवीन खसरा नंबर 4663 साबिक खसरा नंबर 1427 से बना है एवं खसरा नंबर 4907 व 4908 भी साबिक खसरा नंबर 1427 से ही बने हैं। इस प्रकार खसरा नंबर 4663, 4907 व 4908 [illegible]रा नंबर 1427 से बनना स्पष्ट है। नक्शा ट्रेस **(प्रदर्श–4)** के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी के अन्य खसरा नंबरान 4662/5390 एवं 4662/5420 से खसरा नंबर 4663 लगता हुआ है एवं दोनों की सीमाएं आपस में सटी हुई है। खसरा नंबर 4907 व 4908 वादी के खातेदारी के खेतों से बहुत दूरी पर है। साबिक खसरा नंबर 1427 रकबा 7 बीघा वादी की खातेदारी में दर्ज थे, जिसका प्रमाणिकरण **(प्रदर्श–5)** राजस्व विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

Jogy
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

पासबुक, खसरा नंबर 1427 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, **(प्रदर्श–6)** जमाबंदी (खतौनी) संवत् 2043–2046 खसरा नंबर 1427 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा एवं **(प्रदर्श–7)** खसरा गिरदावरी खसरा नंबर 1427 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा से होता है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2025 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1427 रकबा 771.03 बीघा एक बहुत बड़ा रकबा था, जिससे 200 से भी अधिक खसरा नंबर बने है, जिस कारण भू–प्रबंध विभाग से गलती होना स्वाभाविक है और मानवीय भूल प्रतीत होती है। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा गवाह पी0डब्ल्यू–1 से की गई जिरह में भी खसरा नंबर 4663 पर प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे होने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया है। जिससे 4663 पर प्रतिवादी घनश्याम सिंह का कब्जा होना प्रतीत नहीं होता है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 11.03.2020 द्वारा होती है।

8. उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>–:आदेश:–</u>

वादीगण का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 4663 रकबा 0.73 है0 में से 0.72 है0 प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हजफ कर वादीगण 1/1 लगायत 1/5 के नाम दर्ज करें। शेष 0.01 है0 रकबे को सिवायचक दर्ज करें एवं खसरा नंबर 4907 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा नंबर 4908 रकबा 0.60 है0 जो कि वर्तमान में वादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, से वादी संख्या 1 का नाम हजफ कर सिवायचक दर्ज करे। न्याय को दृष्टिगत करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4663 की एवज मेंअपनी काबिज भूमि की खातेदारी हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:35:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

1. बजरंग सिंह पुत्र श्री हरबक्स सिंह जाति राजपूत, निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी क्वार्टर नंबर 145/184 सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर। फोत
   - 1/1. गुमानसिंह चौहान पुत्र स्व0 बजरंग सिंह राजपूत।
   - 1/2. मानसिंह चौहान पुत्र स्व0 बजरंग सिंह राजपूत। निवासीयान सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर।
   - 1/3. भंवरबाई पुत्री बजरंग सिंह राजपूत पत्नि स्व0 किशन सिंह राजावत निवासी डउवाड़ा, कोटा।
   - 1/4. शीला चौहान पुत्र बजरंग सिंह राजपूत पत्नि स्व सुरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी सोत्या पाड़ा, बूंदी राजस्थान।
   - 1/5. सुमन कंवर पुत्री बजरंग सिंह राजपूत पत्नि नारायण सिंह पंवार निवासी शीतला माता की टेक, उनियारा, जिला टोंक।

बनाम

1. घनश्याम सिंह पुत्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी जटवाड़ा खुर्द, मानटाउन, सवाई माधोपुर।
2. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

नम्बर मुकदमा 440 सन् 2011

दावा बाबत् इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती, अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज [illegible] (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जात[illegible] जारी की जाती है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आ[illegible] तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 4663 रकबा 0[illegible] 01 का नाम हजफ कर वादीगण 1/1 लगायत 1/5 के [illegible] रकबे को सिवायचक दर्ज करें एवं खसरा नंबर 4907 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा नंबर 4908 [illegible]बा 0.60 है0 जो कि वर्तमान में वादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, से वादी संख्या 1 का नाम हजफ कर सिवायचक दर्ज करे। न्याय को दृष्टिगत करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4663 की एवज मेंअपनी काबिज भूमि की खातेदारी हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 02.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested